

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर
क्रमांक:-एफ.2(ग)(1)अलेसे- I/10896-900 दिनांक:- 18.12.2015
आदेश संख्या 160/15-16

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम 1963 के नियम 29(2) के अन्तर्गत सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II (लेखाकार) से सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-I पद पर पदोन्नति हेतु वर्ष 2014-15 के लिए गठित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में बन्द लिफाफे में रखे गये, श्री चिरंजीलाल शर्मा (जन्म तिथि 01.12.64) लिंक नम्बर 2979, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II के सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-I के पद पर चयन के नतीजे को खोला जाकर, उक्त विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश के आधार पर, इन्हे 2014-15 के रिक्त पद के विरुद्ध सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-I पद की वेतन श्रृंखला 9300-34800, ग्रेड पे-4800 में पदोन्नत किया जाता है।

श्री चिरंजीलाल शर्मा (मेरिट संख्या 57/86) की वरिष्ठता वर्ष 2014-15 में चयनित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-I की सूची में श्री प्रमोद कुमार व्यास एवं श्री कमलेश पारीक के मध्य रहेगी। श्री शर्मा पदोन्नति के फलस्वरूप अपने वर्तमान पद पर इस पद को अस्थाई रूप से यथा आवश्यकतानुसार (सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-प्रथम) क्रमोन्नत मानते हुए कार्यग्रहण कर अग्रिम आदेशों तक यथावत कार्यरत रहेंगे। पदोन्नति पर वास्तविक परिलाभ कार्यग्रहण की तिथि से देय होंगे।

उक्त आदेश वित्त (राजस्व) विभाग राज0 जयपुर के पत्र क्रमांक प.2 (15) वित्त/राजस्व/10 जयपुर, दिनांक 22.09.2014 से प्राप्त स्वीकृति के अनुसरण में जारी किये जाते हैं।


(भास्कर शर्मा)
निदेशक

क्रमांक:-एफ.2(ग)(1)अलेसे- I/10896-900 दिनांक:- 18.12.2015
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राज.
2. सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग, राज. अजमेर
3. विकास अधिकारी पंचायत समिति सांकड़ा जैसलमेर
4. श्री चिरंजीलाल शर्मा सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय कार्यालय विकास अधिकारी पंचायत समिति सांकड़ा जैसलमेर को निर्देशित किया जाता है कि वे स.ले.अ. ग्रेड-I पद पर कार्यग्रहण कर सूचना अविलम्ब डाक/ फैंक्स अथवा विभागीय ई-मेल aao1.dta@rajasthan.gov.in पर इस विभाग को भिजवायें।
5. वरिष्ठ निजी सहायक निदेशक महोदय
6. उप निदेशक (एसीपी)को वेबसाइट पर अपलोड एवं पीआईएस में इन्द्राज हेतु
7. अलेसे-II/डीपीसी शाखा/ए.सी.आर. शाखा/गार्ड फाईल/ निजी पत्रावली


(डॉ. मनीष शुक्ला)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I)